[28/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 487]

परिशिष्ट - अ

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

O/o the Chief Engineer-Regional Officer
2ND FLOOR, NIRMAN BHAWAN
ARERA HILLS, BHOPAL-462011
PH: 0755-2551329, FAX NO. 0755-2571467
EMAIL ID: ro.bpl-morth@gov.in

No. RW/BHP/MP/VIP-Ref./2022-23/69 Dated: 08.04.2022

To,

The Managing Director,
MPRDCL,
45A, Arera Hills,
Bhopal

Sub: 2L+PS of Biaora- MP/RJ Border NH-52 on BOT (Toll).

Please refer to CE(BOT) MPRDCL letter no. 304/MPRDCL/BOT/Biaora-Rajsthan dated 07.04.2022 forwarding therewith proposal for construction of Rajgarh bypass on the BOT (Toll) stretch referred in the subject above.

2L+PS of Biaora- MP/RJ border on NH-52 on BOT(Toll) is in Operation & maintenance stage. As per the MoU signed between Ministry & MPRDCL, MPRDCL has responsibility of upgradation of the above stated consider as per the MoU. Tenders for DPR preparation of Rajgarh bypass on NH-52 may invited by MPRDCL & financial sanction based on tender quote be obtained.

In regard to accident spot, MPRDCL may appoint Road Safety Consultant and submit an estimate for rectification of black spot. Therefore, the rectification of black spot may carried out immediately.

Yours Sincerely

(Sumit Kumar)
Superintending Engineer
For CE-RO, MoRT&H, Bhopal

Encl.: As above.

Copy to:

1. CE(Z-4), MoRT&H, New Delhi

CE (BOT)

CIN : U45203MP2004SGC016758

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

पत्र क्र. 304 / मप्रसविनि / बीओटी / ब्यावरा–राजस्थान, भोपाल दिनॉक 07 /04 / 2022

प्रति,

मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
निर्माण भवन, भोपाल।

58
08/04/22

8.4.2022

विषयः– राजगढ़ नगर से निकलने वाले एन.एच. 52 पर होने वाली मानव दुर्घटनाओं के संबंध में।

संदर्भ:-

1. कार्यपालन यंत्री (रा.रा. परि.), लो.नि.वि. का पत्र क्रं. NH/R/VIP Ref./2022/153, भोपाल दिनांक 14.03.2022।
2. माननीय विधायक, राजगढ़ का पत्र दिनांक 10.03.2022।

माननीय विधायक, श्री बापूसिंह तंवर जी द्वारा राजगढ़ नगर में भारी वाहनों के आवागमन के कारण संभावित मानव दुर्घटनाओं को देखते हुए जनहित में राजगढ़ बायपास मार्ग का निर्माण किये जाने की स्वीकृति बाबत् निवेदन किया गया है।

अवगत हों कि इस कार्यालय के पत्र क्र. 21269, दिनांक 12.03.2020 के द्वारा मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नवीन राजगढ़ बायपास निर्माण हेतु प्रथम स्तरीय प्राक्कलन एक रेखण के साथ राशि रू. 16.38 करोड़ का तैयार कर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बायपास मार्ग हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति बाबत् भी निवेदन किया गया है। जिसकी स्वीकृति आज दिनांक तक अपेक्षित है। साथ ही कार्यालय के पत्र क्रं. 6085, दिनाक 09.08.2021 एवं स्मरण पत्र दिनांक 18.11.2021 के द्वारा राजगढ़ नगर से निकलने वाले एन.एच. 52 पर होने वाली मानव दुर्घटनाओं के संबंध में दुर्घटना प्रभावित स्थलों में सुधार करने बाबत् रूपये 3,46,58,403/– का प्रस्ताव चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत भी मुख्य अभियंता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भोपाल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदन अपेक्षित है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे शासन को सूचित किया जा सके।

6.4.22

(आशुतोष मिश्रा)
मुख्य अभियंता (बीओटी)
म.प्र.स.वि.नि., भोपाल

पृ. क्र. .... / मप्रसविनि / बीओटी / ब्यावरा–राजस्थान, भोपाल दिनॉक .... / 04 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. माननीय विधायक, श्री बापूसिंह तंवर जी, ई–137/1, प्रोफेसर कॉलोनी, रवीन्द्र भवन के सामने, भोपाल।
2. संभागीय प्रबंधक, म.प्र.स.वि.नि., भोपाल।

मुख्य अभियंता (बीओटी)
म.प्र.स.वि.नि., भोपाल

क्र. 21269/एमपीआरडीसी/डीएम भोपाल/2020 भोपाल, दिनांक: 12/03/2020

प्रति,

मुख्य अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी,
कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
निर्माण भवन द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 52 ब्यावरा–म.प्र./राज. सीमा मार्ग के किमी 445 से प्रारंभ होकर किमी 450 में जुड़ने वाले बायपास लंबाई 12 किमी हेतु राजगढ़ शहर के लिए नवीन बायपास बनाने बाबत्।

संदर्भः **1. माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.o/358411/MIN/RT & M/VIP/2019 दिनांक 25.11.2019.**
2. म.प्र. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. 2115/23477/2019 भोपाल दिनांक 05.08.2019.
3. माननीय विधायक श्री बापू सिंह तंवर, राजगढ़ का पत्र क्र. Q-4 दिनांक 22.07.2019.
4. मुख्य अभियंता (संधा.) का पत्र क्र. 7914/एमपीआरडीसी/संधा./2019 भोपाल दिनांक 07.09.2019.

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के दृष्टिगत माननीय विधायक राजगढ़ ने राजगढ़ शहर के व्यस्तम ट्राफिक को कम करने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नवीन बायपास बनाने का लेख किया है। यह प्रस्तावित मार्ग शहर में विधमान राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 52 ब्यावरा–म.प्र./राज. सीमा मार्ग के किमी 445 से प्रारंभ होकर किमी 450 में जुड़ने वाला बायपास होगा जिसकी लंबाई 12 किमी एवं जो कि जगन्यापुरा, मान्यापुरा, गोलखेड़ी काशी, जूनापानी, दाताग्राम, दंड, रामपुरिया ग्रामों से होकर गुजरेगा। राजगढ़ शहर के लिए नवीन बायपास निर्माण का प्रस्ताव, म.प्र. सड़क विकास निगम संभाग भोपाल द्वारा तैयार किया गया है।

म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित नवीन बायपास निर्माण हेतु प्रथम स्तरीय प्राक्कलन मय एक रेखण मानचित्र राशि रू. **16.38 करोड** तैयार कर (In Principle Approval) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित है इस परियोजना की विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) कंसल्टेंट के माध्यम से तैयार कराने हेतु लगभग राशि रू. 24 लाख की आवश्यकता होगी। इस संबंध में **माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (राज्यसभा) को पत्र लिखकर प्रकरण मुख्य अभियंता (जोन–IV) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित करने का लेख भी किया है। (अनुलग्नक–1)**

उपरोक्तानुसार मार्ग सैद्धांतिक स्वीकृति एवं विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

सहपत्रः संदर्भित पत्रों की छायाप्रति एवं एक रेखण मानचित्र मय प्रारंभिक प्राक्कलन।

मुख्य अभियंता (बीओटी)
एमपीआरडीसी, भोपाल

पृ. क्र. 21270/एमपीआरडीसी/डीएम भोपाल/2020 भोपाल, दिनांक 12/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, लो.नि.वि., मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय विधायक बापूसिंह तंवर, राजगढ़, ई–137/1 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता (संधा.), एमपीआरडीसी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता (बीओटी)
एमपीआरडीसी, भोपाल